भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2120
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

एसएफआईओ

2120. श्री सी.एस. पुट्टा राजू :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा कितने मामलों की जांच की गई;

(ख) उस अवधि के दौरान कितने मामलों को निपटाया गया और कितने मामलों में दोष सिद्धि हुई तथा एसएफआईओ के समक्ष कितने मामले लंबित थे;

(ग) क्या एस एफ आई ओ ने जल्द ही धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बाजार अनुसंधान विश्लेषण इकाई (एमआएयू) के रूप में कोई नई संस्थागत प्रणाली कार्यान्वित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिये कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ड.) सरकार द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की पुनर्पद्धित रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किये जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) और (ख): संख्याएं निम्नानुसार हैं -

वर्ष	उन कंपनियों की संख्या जिनकी जांच की जा रही है	उन कंपनियों की संख्या जिनकी जांच पूरी हो गई है
2012-13	45	22
2013-14	83	22
2014-15	71	39
2015-16 (30.11.2015 तक)	35	23

दिनांक 30.11.2015 की स्थिति के अनुसार एसएफआईओ में 127 कंपनियों के कार्यों की जांच चल रही थी और एक कंपनी की जांच पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है। इसके अतिरिक्त, पिछले

तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष (30.11.2015 तक), एसएफआईओ ने न्यायालयों और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की अनुशासनिक कार्रवाई समिति के माध्यम से 16 मामलों में अभियोजन चलाने की अनुमति प्राप्त की है।

.....2/-

(ग) से (ड.): प्रारंभिक स्तर पर धोखाधड़ी वाले कार्यकलापों की पहचान करने के लिए एसएफआईओ का बाजार अनुसंधान और विश्लेषण एकक (एमआरएयू) सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचना और विभिन्न अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। कपट का पता लगाने या पहचान करने के लिए ऐसी चेतावनियों की अनिवार्य रूप से मंत्रालय के क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों द्वारा लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों की जांच करके पुष्टि की जाती है। इसके अतिरिक्त, एमआरएयू में स्थापित फोरेंशिक प्रयोगशाला डिजिटल आंकड़ा विश्लेषण करके जांच दलों की सहायता करता है। एमआरएयू के लिए अलग से कोई निधि आवंटित नहीं की गई है। सरकार ने कारपोरेट धोखाधड़ी के मामलों की रोकथाम के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 में 'धोखाधड़ी' को मूल अपराध के रूप में शामिल किया गया है।

(ii) ऊपर्युक्त अधिनियम के अधीन एसएफआईओ को सांविधिक स्थिति प्रदान की गई है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कारपोरेट शासन और उनके कार्यान्वयन के लिए कड़े मानकों का उपबंध किया गया है।0

(iv) आंकड़ा विश्लेषण और फॉरेंसिक उपकरणों के उपयोग आदि के माध्यम से धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की तत्काल प्रारंभिक स्तर पर पहचान करने के लिए तकनीक का उपयोग बढ़ाया गया है।

*****